न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 42/2022
GCMS Case No. 2022/162

सायल– सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायल– कन्हैयालाल पुत्र झुमरलाल जाति सिंधी निवासी मकान संख्या 174 महात्मा गांधी कॉलोनी रामदेव रोड पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली

"इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(V) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975"

उपस्थित :

1. सायल की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी पाली।

–:निर्णयः–

दिनांक – 30.04.2025

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 25.07.2022 को गैरसायल कन्हैयालाल पुत्र झुमरलाल जाति सिंधी निवासी मकान सख्या 174 महात्मा गांधी कॉलोनी रामदेव रोड पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल कन्हैयालाल पुत्र श्री झुमरलाल जाति सिंधी निवासी मकान सख्या 174 महात्मा गांधी कॉलोनी रामदेव रोड पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2004 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 23 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से 17 प्रकरणों में न्यायालय ने गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर जुर्माना से दण्डित किया गया एवं 06 प्रकरण जैर ट्रायल है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	मुकदमा नम्बर	धारा	नतीजा पुलिस	नाम न्यायालय निर्णय
1	625/29.09.2004	341, 325 भादस	366/7.10.2004	जेएम 01 पाली से दिनांक 23.05.2016
2	465/16.10.2006	13 आरपीजीओ एक्ट	340/19.10.06	श्रीमान सीजेएम पाली से दिनांक 01.11.06 को 100 रूपये जुर्माना
3	457/26.10.08	4/25 आर्म्स एक्ट	314/27.10.08	सीजेएम पाली दिनांक 3.8.09 को 4 पीओ तहत पाबंद
4	32/25.02.10	13 आरपीजीओ	23/28.02.10	सीजेएम पाली 4 पीओ तहत पाबंद
5	61/14.02.10	13 आरपीजीओ	35/17.02.10	सीजेएम पाली से दिनांक 24.02.10 को 100 रूप्ये जुर्माना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

6	12/5.01.2011	13 आरपीजीओ	4/17.01.11	सीजेएम पाली से दिनांक 28.01.11 को 100 रूपये जुर्माना
7	64/31.01.11	454, 380 भादस	24/7.2.11	सीजेएम पाली से दिनांक 08.12.16 को संदेह का लाभ दोष मुक्त
8	74/4.2.11	13 आरपीजीओ	42/28.02.11	सीजेएम पाली से दिनांक 17.03. 2011 को 100 रूपये जुर्माना
9	473/22.10.12	13 आरपीजीओ	300/29.10.12	सीजेएम पाली से दिनांक 27.11. 2012 को 100 रूपये जुर्माना
10	485/3.11.12	13 आरपीजीओ	317/9.11.12	सीजेएम पाली से दिनांक 30.05.13 को 100 रूपये जुर्माना
11	534/7.9.13	4/5 आर्म्स एक्ट	290/16.9.13	जैर ट्रायल
12	722/29.12.13	143, 341, 327, 307 भादस	238/30.7.14	जैर ट्रायल
13	246/15.3.14	394, 323/34 भादस	140/28.5.14	जैर ट्रायल
14	301/12.06.14	13 आरपीजीओ	154/17.6.14	सीजेएम पाली से दिनांक 14.08.15 को 100 रूपये जुर्माना
15	564/16.10.14	13 आरपीजीओ	319/18.10.14	जैर ट्रायल
16	95/25.02.16	13 आरपीजीओ	25/29.2.16	एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 24.10.18 को 100 रूपये जुर्माना
17	429/22.09.17	452, 323, 504, 336 भादस	276/26.9.17	जैर ट्रायल
18	349/18.7.18	13 आरपीजीओ	216/23.7.18	एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 01.08.18 को स्वीकार
19	324/17.06.19	13 आरपीजीओ	174/26.6.19	एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 7.8.19 को स्वीकार
20	542/11.10.19	13 आरपीजीओ	280/18.10.19	एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 07.11.19 को स्वीकार
21	357/12.10.20	13 आरपीजीओ	238/28.10.20	जैर ट्रायल
22	382/29.10.20	13 आरपीजीओ	252/31.10.20	एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 7.1.2021 को 100 रूपये जुर्माना
23	63/07.02.22	13 आरपीजीओ	38/14.2.22	एसीजेएम सादगा पाली से दिनांक 25.02.2022 को 100 रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल कन्हैयालाल पुत्र झुमरलाल जाति सिंधी पुलिस थाना कोतवाली पाली का आला दर्जे का जुआरी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उक्त गैरसायल के अवैध जुआ खेलने से अन्य लोगों पर गलत प्रभाव पडने की शिकायत समय समय पर मिलती रही है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगां का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बखिलाफ गैरसायल के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अन्तर्गत धारा 2(ख)(v) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित होने से सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रकरण में अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

हमने अभियोजन अधिकारी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय सीजेएम पाली ने आदेश दिनांक 01.11.06, दिनांक 24.02.10, दिनांक 28.01.11 के द्वारा राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार माननीय एसीजेएम सादगा पाली ने आदेश दिनांक 07.01.2021 एवं 25.02.2022 के द्वारा राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल कन्हैयालाल पुत्र झुमरलाल जाति सिंधी निवासी मकान सख्या 174 महात्मा गांधी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

कॉलोनी रामदेव रोड पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत 03 माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली से निष्कासित कर पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 15.05.2025 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना रायपुर, जिला ब्यावर में सप्ताह में एक बार अपनी उपस्थिति देगा तथा पुलिस थाना रायपुर, जिला ब्यावर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल कन्हैयालाल पुत्र झुमरमल इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली गैरसायल कन्हैयालाल पुत्र झुमरलाल जाति सिंधी निवासी मकान सख्या 174 महात्मा गांधी कॉलोनी रामदेव रोड पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली एवं पुलिस थाना रायपुर जिला ब्यावर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)